रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 1988/श्रावण 21, 1910
No. 161] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 1988/SRAVANA 21, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

HP
2.6/12/88

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 38आईटीसी (पीएन)/ 88-91

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1988

विषय:–जिलेटिन कैप्सूल्स के विनिर्माण के लिए 950 एच एस हाई स्पीड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स मेकिंग बेसिक मशीन का शुल्क की रियायती दर के साथ आयात।

फा.सं. 39/79/88-91-आई.पी.सी.—वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 183/88-कस्टमस दिनांक 25 मई, 1988 (अनुलग्नक के अनुसार) की ओर ध्यान दिलाया जाता है जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 के 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय-84 के अन्तर्गत आने वाले 950 एच एस हाईस्पीड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स बैसिक मशीन (जिसे इसके आगे मशीनरी कहा गया है) को जिलेटिन कैप्सूल्स के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किए जाने पर, सीमाशुल्क छूट के संबंध में है।

2. उक्त अधिसूचना के अनुसरण में इच्छुक आयातकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:—

माल की निकास के समय, इच्छुक आयातकों को संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के स्तर के अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता को प्रस्तुत करना होगा कि:

(1) आयातक ने मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट बांड उक्त मशीनरी की निकासी की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर आयातित मशीनरी के मूल्य से तीन गुना जिलेटिन कैप्सूल्स के निर्यात की वचनबद्धता देते हुए निष्पादित कर दिया है; और

(2) आयातकों ने मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा जारी किए गए ऐसे अनदेशों की अनुपालना करने

का वचन दिया हो जो कि उक्त निर्यात आभार को पूर्ण करने और मानिटर करने के लिए लागू किए जाएं।

3. तदनुसार, इच्छुक निर्यातकों को सीमाशुल्क से माल की निकासी से पूर्व सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध "क" के अनुसार क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति बंधपत्र को निष्पादित करना होगा। क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति बंधपत्र का मूल्य .....रुपये (सामान्य सीमाशुल्क) (जिसमें अतिरिक्त शुल्क, पूरक शुल्क, उस पर लगाए जाने वाले काउन्टर वेलिंग शुल्क शामिल है) की सामान्य दर और उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 25 मई, 1988 के अनुसार सीमाशुल्क कर की रियायती दर के अधीन आयात के लिए आयात के समय वास्तव में दिए गए शुल्क के बीच अन्तर के बराबर होगा।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात।

अनुलग्नक

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 1988

अधिसूचना

सं. 183/88—सीमाशुल्क

जी.एस.आर. 651(ई).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट होते हुए कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय-84 के अन्तर्गत आने वाली 950 एच.एस. हाई स्पीड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बेसिक मशीन (जिसे इसके बाद मशीनरी कहा गया है) का जिलेटिन कैप्सूल के विनिर्माण के लिए भारत में आयात के समय निम्नलिखित से छूट देती है :—

(क) उस पर लागू होने वाले सीमाशुल्क का उतना हिस्सा उक्त प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अनुसार यथा मूल्य 35% से अधिक हो, तथा

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत उस पर लगाये जाने योग्य अतिरिक्त सीमाशुल्क से,

इस शर्त पर कि माल की निकासी के समय आयातकर्ता सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता भारत सरकार के कम से कम संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के स्तर के अधिकारी से इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि,—

(1) आयातकर्ता ने मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट इस आशय के बांड का निष्पादन किया है कि वह उक्त मशीनरी की निकासी की तारीख से 5 वर्ष के भीतर, आयातित मशीनरी की लागत से तिगुनी लागत का जिलेटिन कैप्सूल का निर्यात करेगा, और

(2) आयातकर्ता ने यह वचन दिया हो कि वह ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो उक्त निर्यात बाध्यता को पूरा करने तथा उस पर निगरानी रखने के के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी किए जाए।

[फ. सं. 348/5/88-टी.आर.यू.]

टी. जयरमण, अवर सचिव

व्याख्यात्मक टिप्पणी.—अधिसूचना का उद्देश्य कुछ निर्यात बाध्यताओं के अध्याधीन, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के निर्माण के लिए मशीनरी के आयात पर 35% शुल्क की व्यवस्था करना है।

उपाबंध—क

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना स 183/88—कस्टम जी. एस. आर. 651 (ई) दिनांक 25-5-1988 की शर्तों के अनुसार रियायती दर के अधीन आयात के लिए निष्पादित किए जाने वाले क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र का प्रारूप।

(संघ शासित राज्य दिल्ली में 15 रु. या संबंधित राज्य के स्टाम्प कलक्टर द्वारा विहित किए जाने वाले मूल्य के न्यायीकेतन् स्टाम्प पत्र पर, आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदाता बैंक जो राष्ट्रीयकृत बैंक हो, द्वारा निष्पादित किया जाएगा)।

.....की उपस्थिति में सबको ज्ञात हो कि हम मैसर्स .....
(नीचे दिए गए अनुदेश के अनुसार पूरे पते सहित आयातक/आयातक फर्म/कम्पनी का नाम) (जिससे इसके आगे "आयातक" कहा गया है, जिसके अन्तर्गत उसके वारिस, उत्तराधिकारी, हिताधिकारी प्रशासक और प्रतिनिधि भी, जब तक इसमें से निकाले न जाएं या असंभव न हो शामिल समझे जाएंगे) और.....(प्रत्याभूतिदाता बैंक का पूर्ण विवरण और उस कार्यालय या शाखा का पूरा पता जहां से प्रत्याभूति बंधपत्र निष्पादित किया जा रहा है) (जिसे इसमें आगे "प्रत्याभूति दाता" कहा गया है, अभिव्यक्ति में जब तक निकाले न जाएं या इसके असंगत न हों हिताधिकारी, प्रशासक, समनुदेशिती भी शामिल समझे जाएंगे) संयुक्त रूप से और अलग-अलग और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिसे इसके आगे "सरकार" कहा गया है जिसकी अभिव्यक्ति में जब तक इस अभिव्यक्ति में से निकाले न जाएं उसके कार्यालय उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि और समनुदेशिति शामिल किए

गए समझे जाएंगे).....रु. (शब्दों में भी लिखें) के लिए उक्त सरकार द्वारा मांग करने पर और बिना किसी आपत्ति के संदाय करने के लिए उपस्थितों की साक्षी में हम स्वयं को और अपने सम्बद्ध उत्तराधिकारियों और समनुदेशितों को आबद्ध समझते हैं ।

इस पर एक हजार नौ सौ और.....के .....दिन को हस्ताक्षर हुए ।

जबकि सरकार ने हार्ड-जिलेटिन कैप्सूल्स के विनिर्माण के लिए अपेक्षित मशीनरी के आयात लाइसेंस संख्या..... दिनांक.....के तहत आयात की अनुमति दे दी है ।

2. और जबकि भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 183/88-कस्टमस जी.एस.आर. 651 (ई) दिनांक 25 मई, 1988 के तहत माल के आयात की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर आयातित मशीनरी के मूल्य के तीन गुने के बराबर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के निर्यात की आयातक द्वारा वचनबद्धता दिए जाने पर उसमें निर्धारित सीमाशुल्क की रियायती दर की व्यवस्था की है ।

3. और जब कि उपर्यक्त अधिसूचना अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था करती है कि आयातक को इस सबन्ध में विनिर्दिष्ट किए गए बंध पत्र की मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को निष्पादित करना होगा जिसके अनुसार आयातक उपर्युक्त अधिसूचना में निर्धारित निर्यात आभार को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा ।

4. और जब कि आयातक ऊपर उल्लिखित निर्यात आभार को पूर्ण करने के लिए सहमत हो गया है और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की पूर्वोक्त अधिसूचना सं. 183/88—कस्टमस जी. एस. आर. 651(ई), दिनांक 25 मई, 1988 के अनुसार रियायती दर पर आयात की अनुमति के प्रति क्षतिपूर्ति सह प्रत्याभूति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए सहमत है ।

5. और जबकि प्रत्याभूतिदाता ने सरकार द्वारा उपर्युक्त अनुमति जारी करने के लिए सहमति देने के प्रति प्रत्याभूति की रकम का संदाय करने का करार किया है और वचन दिया है ।

6. अब वर्तमान साक्ष्य इस प्रकार होगे :—

क्या आयातक एतद्द्वारा सरकार से इस प्रकार प्रसंविदा करता है :—

(क) कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की पूर्ण संतुष्टि के लिए आयातक पूर्वोक्त अनुमति की शर्तों के साथ-साथ पूर्वोक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों का, सीमाशुल्क सम हिता और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा निकासी की अनुमति देते समय लगाई गई ऐसी शर्तों का पूर्ण अनुपालन करेगा ।

(ख) पूर्वोक्त अधिसूचना की शर्तों के और सरकार की सन्तुष्टि के अध्यधीन यदि आयातक निर्यात आभार-पूरा नहीं करेगा तो पूरी बैंक गारंटी या निर्यात आभार को पूर्ण करने में कम रह गई राशि के समतुल्य राशि जब्त कर ली जाएगी, ऐसी संतुष्टि के संबंध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और आयातक तथा प्रत्याभूतिदाता पर बाध्यकारी होगा ।

(ग) आयात कर्ता आगे यह करार करता है और वचन देता है कि यदि आयातक उपरोक्त निर्धारित निर्यात बाध्यता को पूरा करने में चूक करता है तो आयातित माल को जब्त करने के लिए उनके विरुद्ध की जाने वाली सभी कानूनी कार्रवाई पर होने वाले खर्चे के लिए और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (यथा संशोधित) के उपबंधों और उक्त आयात से, संबंधित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन सरकार को प्राप्त अन्य अधिकारों के तहत की गई कार्रवाई पर होने वाले खर्चे के लिए आयातक जिम्मेदार होगा । निर्यातक इस बात से सहमत है कि सरकार द्वारा जब्त करने की कार्रवाई निर्यात आभार पूर्ण करने की निर्धारित अवधि से पहले या बाद में शुरू की जा सकती है ।

(घ) आयातकर्ता आगे यह सहमति और वचन देता है कि आयातक सीमाशुल्क या अन्य शुल्कों, जुर्माने और उन पर ब्याज आदि की वसूली के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और संबंधित वित्त अधिनियम और अद्यतन संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपबन्धों के अधीन की जाने वाली कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा ।

(ङ) आयातक आयात विनियंत्रित करने वाली शर्तों और अन्य अनुबद्ध बातों की सभी बाध्यताओं जिनमें भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 183/88—कस्टम जी. एस. आर. 651(ई) दिनांक 25 मई, 1988 में विनिर्दिष्ट नियत की गई शर्तों का सत्य निष्ठ से अनुपालन करेगा ।

7. गारन्टी देने वाला बैंक सरकार से इस प्रकार से प्रसंविदा करता है :—

(1) गारन्टी देने वाला बैंक अभिव्यक्त रूप से और अप्रतिसंहरणीय रूप से यह वचन देता है कि यदि आयातकर्ता पूर्णतः या भागतः निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहता है और उक्त अधिसूचना में निर्धारित शर्तों सहित सरकार की पूर्ण संतुष्टि के लिए शासित शर्तें जो कि आयातक और गारन्टी देने वाले बैंक के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगी, को यथा संशोधित आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा यथा

संशोधित-आयात नियंत्रण आदेश, 1955 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या लाइसेंस में विनिर्दिष्ट निबंधनों के अधीन आयातकर्ता की ओर से अन्य कोई असफलता होती है, जिससे कि उक्त राशि के बारे में किसी भी कारणवश सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः मांग की जाए, सरकार द्वारा लिखित रूप में मांग की जाने पर हम प्रत्याभूतिदाता बैंक अविलम्ब और आयातकर्ता के प्रति निर्देश किए बिना आयातकर्ता से सरकार द्वारा इस निमित्त मांगी गई कोई राशि सरकार को या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को संदत्त करेंगे और अधिकतम .....

.....रु. तक के संदाय की प्रत्याभूति क्षतिपूरित करेंगे ।

(2) ऐसे किसी अधिकार के होते हुए भी, सरकार को आयातकर्ता के विरुद्ध प्रत्यक्षतः या आयातकर्ता किस द्वारा किसी भी रूप में उठाए गए किसी विवाद के होते हुए भी सरकार की लिखित मांग में प्रत्याभूतिदाता बैंक के लिए आवश्यक ब्यौरों का कथन होगा कि इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट निबन्धनों सहित पूर्वोक्त लाइसेंस आदि के निबन्धनों और शर्तों, इसमें ऊपर दी गई विनिर्दिष्ट शर्तें शामिल हैं, के अधीन प्रत्याभूतिदाता बैंक से संदाय की मांग की जाती है और सरकार की ऐसी पूर्वोक्त मांग प्रत्याभूतिदाता बैंक के लिए अंतिम और उस पर आबद्धकर होगी ।

(3) प्रत्याभूतिदाता बैंक, सरकार और आयातकर्ता के बीच किसी व्यवस्था या परिवर्तन से या आयातकर्ता को उसकी सहमति से या ज्ञान के बिना या सरकार की ओर से किसी उदारता से या आयातकर्ता की बाध्यता में किसी परिवर्तन या संदाय, समय, पालन या अन्यथा के संबंध में किसी प्रवृत्ति से प्रत्याभूतिदाता बैंक, इस वचनबद्धता, और प्रत्याभूति से उन्मोचित या निर्मुक्त नहीं होगा ।

(4) प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा दी गई या प्रत्याभूति ऊपर यथाविनिर्दिष्ट निबंधनों सहित पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति/शुल्क छूट स्कीम के अधीन सभी बाध्यताओं को सरकार के पूर्ण समाधानप्रद रूप में पूरा करने तक और उक्त समाधान के बारे में प्रत्याभूतिदाता बैंक को सरकार द्वारा रिपोर्ट करने तक, विधिमान्य और पूर्णतः प्रवृत्त बनी रहेगी ।

8. आयातकर्ता तथा प्रत्याभूतिदाता बैंक ने संयुक्त और पृथक रूप से घोषणा की है :

(1) यह कि आयातकर्ता उपर्युक्त लाइसेंस के तहत मशीनरी के आयात की तिथि को और निर्यात आभार पूरा होने की तिथि तक आयात-निर्यात नीति/प्रक्रिया पुस्तक के लागू सभी दण्ड सम्बंध प्रावधानों और आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का पालन करने का करार करता है तथा वचन देता है व्यतिक्रम होने की दशा में, जो प्रावधान सरकार विनिश्चित करेगी, प्रवृत्त किए जा सकेंगे और यह विनिश्चय आयातकर्ता और प्रतिभूतिदाता के लिए अंतिम और आबद्धकर होगा ।

(2) आयातकर्ता द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति बंधपत्र और प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा दी गई प्रत्याभूति, निरंतर क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति होगी और आयातकर्ता या प्रत्याभूतिदाता बैंक के गठन में किसी परिवर्तन से उन्मोचित नहीं होगी । आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा यह भी क्षतिपूर्ति दिया जाता है कि सरकार को प्रत्याभूति बैंक द्वारा संदाय, इस निमित सरकार से या सरकार द्वारा प्रधिकृत किसी अधिकारी से लिखित मांग प्राप्त होने पर, तुरन्त किया जाएगा ।

(3) यह क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र उपरोक्त आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा ऐसे कार्य के लिए निष्पादित किया गया है जिसमें जनता हितबद्ध है।

(4) प्रत्याभूतिदाता बैंक से इस क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र के अधीन सरकार द्वारा मांगी गई राशि के संदाय के प्रभाव, आयातकर्ता के विरुद्ध की जा सकने वाली ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा जिसमें आयातित सामग्री के समपहरण के लिए विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करना, और अनुज्ञप्ति देने से इन्कार करना और अन्य सभी दायित्व और शास्तियां तथा यथा संशोधित आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 (अद्यतन) के उपबंधों के अधीन परिणाम सम्मिलित हैं जो आयात व्यापार नियंत्रण विनियमन और सीमा शुल्क, अधिनियम 1962 के उपबंधों के अधीन सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं ।

(5) अब उपरोक्त क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र की शर्तें यह हैं कि इनमें वर्णित आयातकर्ता या प्रत्याभूतिदाता बैंक सभी बाध्यताएं ऊपर यथा विनिर्दिष्ट सरकार के पूर्ण और अंतिम समाधानप्रद रूप में पूरी हो जाती हैं क्षतिपूर्ति सह-प्रत्याभूति बन्ध निष्प्रभावी हो जाएगा अन्यथा उस की सभी शर्तें पूर्ण रूप से लागू रहेंगी।

(6) बशर्ते कि इसमें शामिल किसी भी बात के बावजूद एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र उक्त आयातित

मदों के आयात की तिथि से 6 वर्ष की अवधि के लिए पूर्णतः प्रवृत्त रहेगा। इसके बाद प्रत्याभूतिदाता बैंक और आयातकर्ता एक नये क्षतिपूर्ति-सह प्रत्याभूति बंधपत्र का उतनी और अवधि के लिए निष्पादन करेंगे जितनी सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए।

9. इसके साक्ष्य स्वरूप उपर नामित पक्षकारों ने यह बंधपत्र उपर विनिर्दिष्ट तारीख, मास और वर्ष को सम्यक्त रूप से निष्पादित किया और उस पर अपने अपने हस्ताक्षर किए तारीख डाली, मुद्रा लगाई तथा उसका परिदान ऊपर नामित आयातकर्ता और प्रतिभू ने निम्नलिखित की उपस्थिति में किया :—

साक्षी

1. ..... 1. (आयातकर्ता/आयातकर्ता वर्ग का पूरा विवरण) जिसका अधिप्रमाणन और अभिपुष्टि प्रथम श्रेणी
2. ..... मजिस्ट्रेट या पब्लिक नोटरी के समक्ष होनी है।
1. ..... 2. (प्रत्याभूतिदाता बैंक का पूरा विवरण) प्रत्याभूतिदाता बैंक के लिए और
2. ..... उसकी ओर से, इसके प्रधिकृत अधिकारी के द्वारा बैंक की मुद्रा सहित।

* साक्षियों को अपना पेशा और पूरा पता लिखना चाहिए।

आयातकर्ता और बैंक के लिए टिप्पण :—

(1) यदि आयातकर्ता एकमात्र स्वत्वधारी फर्म है तो यह क्षतिपूर्ति सह प्रत्याभूति बंधपत्र, उक्त एकमात्र स्वत्वधारी द्वारा अपने स्थायी डाक पते के साथ तथा राष्ट्रीयकृत बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने बैंक की मुद्रा के साथ निष्पादित किया जाएगा।

(2) यदि आयातकर्ता एक भागीदारी फर्म है तो क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र भागीदारी विलेख में विनिर्दिष्ट भागीदारों या प्रबन्ध भागीदारों के माध्यम से, भागीदारी फर्म के नाम से और यथा उपरोक्त बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

(3) यदि आयातकर्ता एक लिमिटेड कम्पनी है तो यह क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र कम्पनी के कार्यपालक निदेशक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा कम्पनी की मुद्रा के साथ और उपरोक्त टिप्पण-1 में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

PUBLIC NOTICE NO. 38-ITC(PN)/88-91

New Delhi, he 12th Augut, 1988

Subject.—Import of 950 HS high speed hard gelatine Capules Making Basic Machines for the manufacture of gelatine capsules, with concessional rate of duty.

F. No. 39/79/88-91-IPC.—Attention is invited to the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 183/88-CUSTOMS dated the 25th May, 1988 (as per Appendix) regarding exemption of Customs duty on 950 HS high speed hard gelatine capsules basic machines (hereinafter referred to as the machinery), falling within Chapter 84 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of gelatine capsules.

2. In pursuance of the said Notification, the intending importers will have to fulfil the following condition :—

At the time of clearance of the goods, the intending importer shall produce to the Assistant Collector of Customs, a certificate issued by an officer not lower in rank than a Joint Chief Controller of Imports and Exports to the effect that :—

(i) the importer has executed a bond specified in this regard by the Chief Controller of Imports and Exports undertaking to export gelatine capsules of three times the value of the imported machinery within a period of five years from the date of clearance of the said machinery; and

(ii) the importer has undertaken to comply with such instructions as are issued by the Chief Controller of Imports and Exports to monitor and enforce the fulfilment of the said export obligation.

3. Accordingly, the intending importers have to execute an indemnity-cum guarantee bond as per Annexure 'A' to this Public Notice with the regional licensing authority concerned before clearance of the goods through Customs. The amount of indemnity-cum-guarantee bond shall be equal to Rs.———— [Difference between the normal rate of Customs Duty (including additional duty, Auxiliary Duty, Countervailing Duty leviable thereon) and the duty actually paid for import under concessional rate of Customs duty, as per the aforesaid Notification dated 25th May, 1988, paid at the time of importation].

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports and Exports

APPENDIX

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 1988

No. 183/88-CUSTOMS

G.S.R. 651(E).—In exercise of the powers conferred by section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts 950 HS high speed hard gelatine capsules basic machine (hereinafter referred to as the machinery), falling within Chapter 84 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of gelatine capsules, from :—

(a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 35 per cent valorem; and

(b) the whole of the additional duty of customs leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act,

Subject to the condition that, at the time of clearance of the goods, the importer produces to the Assistant Collector of Customs a certificate issued by an officer, not lower in rank than a Joint Chief Controller of Imports and Exports of the Government of India, to the effect that,—

(i) the importer has executed a bond specified in this regard by the Chief Controller of Imports and Exports of the Government of India undertaking to export gelatine capsules of three times the value of the imported machinery, within a period of five years from the date of clearance of the said machinery; and

(ii) the importer has undertaken to comply with such instructions as are issued by the said Chief Controller of Imports and Exports to monitor and enforce the fulfilment of the said export obligation.

[F. No. 349/5/88-TRU.]

T. JAYARAMAN, Under Secy.

Explanatory Note.—The notification seeks to provide concessional duty of 35 percent adv. on machinery imported for manufacture of hard gelatine capsules subject to certain export obligations.

ANNEXURE—A

INDEMNITY-CUM-GUARANTEE BOND FORM TO BE EXECUTED FOR IMPORTS UNDER DUTY CONCESSION IN TERMS OF MINISTRY OF FINANCE (DEPTT. OF REVENUE) NOTIFICATION NO. 183/88-CUSTOMS G.S.R. 651(E) DATED 25-5-1988

(To be executed by the importer and guarantor bank which should be a nationalised bank on a non-judicial Stamp Paper of Rs. 15 in Union Territory of Delhi or of value prescribed by Stamp Collector of respective State).

Know all men by this present that.——————We M/s.——————(full name of the Importer/ Importer firm/company with complete address as per the instructions given below) (hereinafter referred to as the 'Importer' which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his heirs, successors, its seccessor in interest, administrator and representatives) and——————(full name of the Guarantor Bank with complete address of the Office of Branch from which the Guarantee Bond is being executed) (hereinafter referred as the 'Guarantor' which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include its successor in interest, administrator and assigns) are jointly and severally held and firmly bound to the President of India and acting through the Chief Controller of Imports & Exports, Ministry of Commerce (hereinafter called the 'Government' which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his successor in office representatives and assigns) for the sum of Rs.——————(State in words also) only to be paid to the Government on demand and without demur for which payment we bind ourselves and our respective successors and assigns by these presents.

Signed this the——————day of——————in the year One thousand nine hundred and——————.

Whereas the Government have granted permission for import against Import Licence No.——————dated ——————machinery required for the manufacture of hard gelatine Capsules.

2. And whereas the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) vide the Notification No. 183/88-Customs G.S.R. 651 (F) dated 25th May, 1988 provides for a concessional rate of Customs duty as stipulated therein on the undertakikng of the importer to export hard Galatine Capsules of three times the value of the Imported machinery within a period of five years from the date of import of the goods.

3. And wehreas the aforesaid Notification, inter-alia provides that the importer will execute a bond specified in this regard by the Chief Controller of Imports & Exports binding the mporter to fulfil the export obligations stipulated in the aforesaid Notification.

4. And whereas the importer has agreed to fulfil the export obligation as mentioned above and has agreed to furnish an Indemnity-cum-guarantee bond in consideration of the permission to import at a concessional rate of duty in terms of aforesaid Ministry of Finance (Deptt. of Revenue) Notification No. 183/88-Customs G.S.R. 651(E) dated 25th May, 1988.

5. And whereas the Guarantor has agreed and undertaken to guarantee payment of the guaranteed amount in consideration of the Government's agreeing to issue the above permission.

6. Now this present witnesses as follows :

The importer does hereby convenants with the Government as follows :—

(a) That the importer shall comply with the conditions of the aforesaid Permission as well as all other terms and conditions specified in the aforesaid Notification and also such conditions as are imposed by Collector of Customs and the Chief Controller of Imports & Exports while allowing clearance of goods, to the full satisfaction of the Chief Controller of Imports & Exports.

(b) The Bank Guarantee will be liable to be forfited in full or equivalent to the shortfall if the importer fails to fulfil the export obligation in terms of the aforesaid Notification, and to the full satisfaction of the Government, the decision about such satisfiaction would be final and binding on the importer and guarantor.

(c) That the importer further agrees and undertakes in the event of importer's default in fulfilling the obligation as set out above, the importer would be liable to the Government for cost of all legal action to be instituted against them for confiiscation of the imported material and other rights available to the Government under the provisions of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (as amended), and other procedures and rules formulated by the Government relating to the said import. The importer further agrees that the confiscation proceedings may be initiated by the Government at any time before or after the stipulated period for the fulfilment of export obligation.

(d) That the importer further agrees and undertakes that importer would be liable to action taken for recovery of Customs or other duties, penalties and interest etc. thereon under provision of the Customs Act, 1962 and relevant Finance Act, and the Customs Tariff Act, 1975 as amended upto date.

(e) That the Importer shall faithfully comply with all the obligations under the terms and conditions governing import and other stipulation including the stipulations specified in the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 183/88-Customs G.S.R. 651 (E) dated 25th May, 1988.

7. The Guarantor Bank covenants with the Government as follows :—

(i) That the Guarantor Bank do hereby expressly and irrevocably undertakes and guarantees that if the importer fails to fulfil the whole or part of the export obligations including the conditions stipulated in the said Notification and conditions governing imports to the full satisfaction of the Government

which shall be final and binding on the importer and guarantor or if the importer is not able to furnish any information required under the terms and condition of the licence and the Imports & Exports (Control) Act, 1947 and Imports (Control) Order, 1955 as amended or any other rules framed thereunder or if there is any other failure or any kind whatsoever on the part of the importer under the terms specified in the licence etc. whereby the said amount be demanded by the Government in whole or in part for any reason whatsoever and on the written demand of the Government we the Guarantor Bank shall, without any demur or without reference to the importer, pay to the Government or to any officer authorised by the Government in this behalf, any sum demanded by the Government from the Importer and also expressly and irrevocably undertake to Indemnify to guarantee upto a maximum of Rs.————————.

(ii) That notwithstanding any right, Government may have directly against the importer, or notwithstanding any dispute raised by the Importer in any form, the Government's written demand to the Guarantor shall state necessary details to the Guarantor Bank that the payment is demanded from the Guarantor Bank under the terms and conditions of the aforesaid licence etc. including the terms specified hereinabove and such above demand by the Government shall be final and binding upon Guarantor Bank.

(iii) That the Guarantor Bank, shall not be discharged or released from this undertaking and the guarantee by any arrangement, variations between the Government and the Importer, any indulgence to the Importer by the Government with or without the consent or knowledge or any alteration in the obligation of the Importer, or any forbearance whether as to payment, time, performance or otherwise.

(iv) That this Guarantee by the Gurantor Bank shall remain valid and in full force until all the obligations under the aforesaid licence including the terms specified above are duly accomplished to the full satisfaction of the Government, which satisfaction shall be final and is agreed to be binding on Importor and Guarantor, and till the said satisfaction is reported by the Government to the Guarantor Bank.

8. It is jointly and severally declared by the Importer and the Guarantor Bank :—

(i) That the importer agrees and undertakes to abide by all the penal previsions of the Imports and Export Polimy|Hand Book of Procedures, applicable on the date of imports of machinery under the aforesaid licence and the date upto which export obligation is to be completed as also under the Imports & Exports (Control) Act, 1947 and Rules framed threunder to be invoked against them in case of default as may be decided by the Government, which decision shall be final and binding on the Importer and Guarantor.

(ii) That the above named Indemnity Bond by the Importer and the Guarantee by the Guarantor Bank shall be continuing Indemnity-cum-Guarantee and shall not be discharged by any change in the constitution of the Importer or of the Guarantor Bank. It is further indemnified by this Indemnity-cum-Guarantee Bond by the Importer and Guarantor Bank that the Payment by the Guarantor Bank to the Government under this Indemnity-cum-Guarantee Bond shall be made forthwith on the receipt of the written demand of the Government or any officer authorised by the Government in this behalf.

(iii) That this Indemnity-cum-Guarantee Bond is executed by the above named Importer and the Guarantor Bank for the purposes of the Act involving public interest.

(iv) That the payment of the amount demanded by the Government in the above named Indemnity-cum-Guarantee Bond from the Guarantor Bank will not affect the liability of the Importer to any other action including the initiation of legal preceedings for confiscation of the imported material and refusal of further licence(s) and all other liabilities and penalities and the consequences under the provisions of the Imports & Expots (Contol) Act, 1947, Imports (Control) Order, 1955 as amended that may be decided by the Government under the Import Trade Control Regulations and provisions of Customs Act, 1962.

(v) Now the condition of the above written Indemnity-cum-Guarantee Bond is such that if all the obligations to be performed by the Importer and the Guarantor Bank hereunder are fulfilled to the full and final satisfaction of the Government as specified above, than the above written Indemnity-cum-Guarantee Bond shall be void and of no effect otherwise the same shall be and remain in full force and virtue.

(vi) Provided, however, notwithstanding anything hereinbefore contained, it is hereby declared that the above Indemnity-cum-Guarantee Bond shall remain in full force for a period of 6(six) years from the date of importation of the said imported goods then the Guarantor Bank and the Importer shall execute a fresh Indemnity-cum-Guarantee Bond for such further period as may be required by the Government.

9. In witness whereof the above named parties hereto, have duly executed this bond on the————————day, month and year stated above, signed, sealed and delivered by the above named Importer and the Guarantor Bank in the presence of :—

Witnesses*

1.	1. ————————(full and expanded Decsription of the
2.	importer/importer firm) to be authenticated/affirmed by 1st class Magistrate/Notary Public.
1.	2. ———————— (full and expanded Description of the Guarantor Bank) for and on
2.	behalf of the Gurantor Bank by Authorised Officer with Seal of the Bank.

*Witnesses should also given their occupation and full address.

Note :

For the Importer and the Bank.—(1) If the Importer is a sole proprietary firm the Indemnity-cum-Guarantee Bond is to be executed by the sole proprietor of the said sole proprietary firm alongwith his permanent complete postal address and by the authorised officer of the Nationalised Bank affixed with the seal of the Bank.

2. If the Importer is partnership firm, the Indemnity-cum-Guarantee Bond is to be executed in the name of the partnership firm through the partners or managing partners as may be specified in the partnership deed, and the Authorised Officer of the Bank as above.

3. If the Importer is a limited company, the Indemnity-cum-Guarantee Bond should be executed by the Executive Director or Managing Director of the Limited Company with the seal of the Company, and the Authorised Officer of the Bank as specified in Note No. 1 above.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988